

न्यायालय सहायक कलेक्टर जयपुर शहर द्वितीय जयपुर
पीठासीन अधिकारी - श्री विष्णु कुमार गोयल-1 (आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र संख्या : 2008/593

1. हनुमान पुत्र रामनाथ (फौत)
 - 1/1 गलखू पत्नी हनुमान (फौत)
 - 1/2 छीतर पुत्र हनुमान
 - 1/3 बाबूलाल पुत्र हनुमान (फौत)
 - 1/3/1 लाली देवी बेवा बाबूलाल
 - 1/3/2 विनोद पुत्र बाबूलाल
 - 1/4 गोपाल पुत्र हनुमान
 - 1/5 शिवा पुत्र हनुमान
 - 1/6 गुलाब पुत्र हनुमान
 - 1/7 विमल पुत्र हनुमान
 - 1/8 रामजीलाल पुत्र हनुमान
 - 1/9 कैली पुत्री हनुमान
 - 1/10 रामप्यारी पुत्री हनुमान
 - 1/11 बदाम पुत्री हनुमान

2. नारायण पुत्र मोहरू (फौत)
 - 2/1 श्रीमती स्याणी पत्नी नारायण
 - 2/2 लक्ष्मीनारायण पुत्र स्व0 नारायण
 - 2/3 मुकेश पुत्र स्व0 नारायण
 - 2/4 सीताराम पुत्र स्व0 नारायण
 - 2/5 प्रेम पुत्री स्व0 नारायण
 - 2/6 रेखा पुत्री स्व0 नारायण
 - 2/7 सुशीला पुत्री स्व0 नारायण



समस्त जाति जाट निवासी हसनपुरा भांकरोटा तहसील सांगानेर जिला

जयपुरं

-वादीगण

बनाम

1. नारायण पुत्र खेमराज जाति ब्राह्मण (गौड) निवासी भांकरोटा तहसील सांगानेर जिला जयपुर।



न्यायालय सहायक कलेक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

- 2
2. गुलजारी पुत्र मुखराम जाति जाट निवासी डी-65, चौमू हाउस जयपुर, तहसील व जिला जयपुर।
 3. राधाकिशन पुत्र महादेव सिंह जाति जाट निवासी डी-65, चौमू हाउस जयपुर, तहसील व जिला जयपुर।
 4. दिनेश कुमार पुत्र गणेश लाल जाति जाट निवासी डी-65, चौमू हाउस जयपुर, तहसील व जिला जयपुर।

— प्रतिवादी

दावा इस्तकरार हक व हुक्म ईम्तनाई

निर्णय

दिनांक: 04.02.2021

वादीगण का वाद न्यायालय हाजा में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर (द्वितीय) से दिनांक 22.09.2008 को स्थानान्तरित होकर आया। जिसका संक्षेप में वर्णन निम्नानुसार है कि आराजी खसरा नंबर 124 रकबा 43 बीघा 2 बिस्वा वाके ग्राम हसनपुरा का वादीगण रिकार्डेड खातेदार काशतकार है, वादीगण ने खसरा नंबर 124 का कोई रकबा कभी विक्रय नहीं किया ना ही प्रतिवादी का कभी कब्जा काशत रहा है, किन्तु प्रतिवादी ने बिना बेचे कब्जा काशत नामान्तरकरण अपने नाम करा लिया। तथा वादीगण अभी सूद करने गये तो प्रतिवादी लाठी लेकर आ गया और बोला की 2 बीघा भूमि दक्षिण की तरफ काशत करूंगा, इस प्रकार यदि प्रतिवादी जबरन काशत करेगा तो वादीगण को अत्यधिक हानी होगी जिसकी क्षतिपूर्ति नहीं की जा सकेगी। अतः वादीगण का वाद इस्तकरार हक डिक्री फरमाया जाकर आराजी खसरा नंबर 124 का खातेदार काशतकार घोषित किया जावे व प्रतिवादी ने झूठा नामान्तरकरण विक्रय का कराया है वह कलेदम व बेअसर फरमाया जावे कि वादीगण के कब्जे काशत में मजाहमत न करे न पेड काटें। उक्त वाद में तलबी प्रतिवादी की जाकर प्रतिवादी ने जवाबदावा प्रस्तुत कर अंकित किया कि वाद पत्र का मद नंबर 1 स्वीकार है तथा मद नंबर 2 व 3 अस्वीकार किया व अंकित किया कि 5 बीघा भूमि वादीगण ने प्रतिवादी को बेची है, प्रतिवादी ने वादी के कब्जे काशत में कभी रूकावट नहीं डाली बल्कि बयान मजीद में अंकित किया कि वादी ने प्रतिवादी को खसरा नंबर 124 की भूमि में से 5 बीघा भूमि 99/- रुपये में विक्रय की, बेचाने के बाद नामान्तरकरण हो चुका है, जिसकी अपील वादी ने की थी जिसका प्रतिवादी के पक्ष में फैसल हो चुका है व आराजी मुतनाजा को बेचान के बाद प्रतिवादीगण काशत करने



अध्यायक कलेक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

लगा तो वादी ने मना किया। जिस पर विवाद बढ़ जाने से प्रतिवादी की दरखास्त पर दफा 145 जा0दी0 में कुर्क हो चुकी है व 107/116 जा0दी0 की कार्यवाही चलकर दफा 145 जा0दी0 की कार्यवाही में कनवर्ट हो गयी। अतः जवाब दावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी का वाद मय खर्चा खारिज फरमाया जावें। उक्त वाद व जवाब वाद प्रस्तुत होने पर अदालत हाजा द्वारा दावा हाजा में निम्न वाद बिन्दु कायम किये गये :-

1. आया वादी सम्पूर्ण आराजी खसरा नंबर 124 वाकै ग्राम हसनपुरा बास भांकरोटा तहसील सांगानेर का काबिज खातेदार काश्तकार है?

.....वादीगण

2. आया वादी प्रतिवादी को हुक्म इम्तनाई दवामी द्वारा पाबन्द कराने का अधिकारी है?

.....वादीगण

3. आया आराजी खसर नंबर 124 में से 5 बीघा भूमि 99/- रुपये में वादीगण ने प्रतिवादी को विक्रय कर दी थी?

..... प्रतिवादी

4. आया दावा हाजा बिना कान्सीव्यूएन्सी रिलीफ के नाकाबले पेश रफते है?

..... प्रतिवादी

5. दोदरसी क्या होगी?

वादी ने अपने वाद के समर्थन में मिलान क्षेत्रफल रसीद लगान 22 किता, खसरा गिरदावररी सम्बत् 2018 से 2022, नकल ढाल बांछ, नकल जमाबंदी, नकल नामान्तकरण, नकल कार्यवाही नामान्तकरण तस्दीक व नकल निर्णय दिनांक 01.02.1971 एस0डी0एम0 जयपुर पेश किया एवं भौतिक साक्ष्य सबूत में गवाहान श्री लादू पुत्र भैरू जाट उम्र 40 ग्राम हसनपुरा पीडब्ल्यू-1, पीडब्ल्यू-2 लादू पुत्र घासी उम्र 45 वर्ष हसनपुरा, पीडब्ल्यू 3 कल्याण पुत्र लाला जाट उम्र 35 निवासी नृसिंहपुरा, पीडब्ल्यू-4 महादेव पुत्र झूथा जाट उम्र 35, पीडब्ल्यू 5 भैरूलाल पुत्र रामनाथ ब्राह्मण निवासी भांकरोटा, ताराचन्द आ0का0, भैरूलाल पुत्र रामनाथ सरपंच एवं वादी हनुमान के बयान लेख बद्ध किये गये। प्रतिवादी द्वारा साक्ष्य दस्तावेजी सबूत में जमाबन्दी 2017 से हाल 1970 तक पेश की हैं एवं मौखिक साक्ष्य में स्वयं प्रतिवादी के कथन दिनांक 29.10.1988 को लेखबद्ध किये गये। वादपत्र पर बहस उभयपक्ष सुनी गई।

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

विद्वान वकील वादी ने दौराने बहस जाहिर किया कि प्रतिवादी अपने जवाब दावा में अंकित करके आये है कि 5 बीघा भूमि खरीदी, किन्तु उन्होने तारीख अंकित नहीं की एवं बयान डी.डब्ल्यू-1 से 18.12.60 को खरीद करना जाहिर किया है व नामान्तकरण 3 मार्च 1960 को होना बताते है भूमि विवादग्रस्त 18.12.60 को बेचना बताया है एवं मुख्य दलील विद्वान वकील वादीगण ने यह प्रस्तुत किया कि एस.डी.ओ. जयपुर के निर्णय दिनांक 01.02.1971 को 145 जा0फौ0 में 250/- रुपये में खरीद करना जाहिर किया है। इस प्रकार वादीगण द्वारा कोई भूमि प्रतिवादीगण को बेचान नहीं की है। उन्होने न्यायालय का ध्यान कानूनी नजीर :-

1954 सुप्रीम कोर्ट पेज 340,

1977 पेज 1201 पैरा-3,

1981 पेज 446 पैरा-34

आर.आर.डी. 1969 पेज 66

आर.आर.डी. 1975 पेज 236

आर.आर.डी. 1980 पेज 646

आर.आर.डी. 1987 पेज 97

आर.आर.डी. 1989 पेज 317

आर.आर.डी. 1990 पेज 479

आर.आर.डी. 1969 पेज 649 की तरफ आकर्षित कर पुरजोर शब्दों में दलील पेश की कि प्रतिवादी ने खरीद का कोई दस्तावेज पेश नहीं किया। उन्होने यह भी निवेदन किया कि प्रतिवादी नं 02.07.77 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विक्रय पत्र खो गया तथा धारा 65 कानूनी शहादत सेकेन्डरी एवीडेन्स प्रस्तुत करने का अवसर दिया जावे। इस पर वादीगण के सुयोग्य वकील ने दलील दी कि न्यायालय को प्रतिवादी यह नहीं बता पाये है कि बेचान कौनसी तारीख का है न दस्तावेज की एवीडेन्स है। इस पर 24.09.77 को 10/-रु हर्जा पर उक्त प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया। इस आदेश के विरुद्ध निगरानी की तो राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर से दिनांक 18.02.81 को उक्त निगरानी खारीज हो गई। इससे साफ विदित होता है कि प्रतिवादी इसे साबित नहीं कर पाया। पुनः प्रतिवादी ने आर्डर-13 नियम-2 का एक प्रार्थना पत्र आदेश -16 नियम 1(3) में प्रस्तुत किया उक्त प्रार्थना पत्र भी न्यायालय द्वारा निरस्त किये गये। इनकी निगरानी पुनः राजस्व मण्डल में पेश की जो दिनांक 12.06.86 को निरस्त होकर पुनः दस्ती



सहायक क्लर्क
जयपुर शहर द्वितीय

5
न्यायालय हाजा में प्रेषित की गई। नामान्तरण 04.12.60 को स्वीकार किया है। नामान्तरण जो स्वीकार किया गया है वह बेचान के आधार पर नहीं है। नामान्तरण पर रिपोर्ट पटवारी यह है कि तब्दीली काश्त है, राजी खुशी दे दी। इससे स्पष्ट है कि विक्रय पत्र के आधार पर कोई बेचान नहीं है। प्रतिवादी ने कोई दस्तावेजी सबूत होना पेश नहीं किये, मौखिक शहाद सबूत से वादीयान का कब्जा साबित होता है।

अतः वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। वादीगण के सुयोग्य वकील की बहस का खण्डन करते हुये विद्वान वकील प्रतिवादी ने जाहिर किया कि गवाहान वादीगण ने कही स्पष्ट नहीं किया कि वादीगण का कब्जा हैं। सभी ने कहा है कि झगडे वाली जमीन का पता नहीं वादी ने प्रतिवादी के बयान से कोई प्रश्न नहीं पूछा इस प्रकार सर्व विदित होता है कि प्रतिवादी का 5 बीघा भूमि पर कब्जा है।

हमने सुयोग्य वकुलाय की बहस सुनने व इस पर उपलब्ध दस्तावेजी सबूत शहादत के आधार पर वाद का निर्णय वाद बिन्दू अनुसार किया जाता है :-

तनकी नं. 1 - आया वादी सम्पूर्ण खसरा नंबर 124 वाकै ग्राम हसनपुरावास भकरी तहसील सांगानेर का काबिज खातेदार काश्तकार है।

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण पर है इसके समर्थन में वादीगण ने मिलान क्षेत्रफल रसीद लगान, खसरा गिरदावरी, नकल ढालबांध जमाबंदी एवं नकल निर्णय एस.डी.एम. जयपुर 01.02.71 पेश किया एवं निर्णय से पूर्व आराजी मुतनाजा कुर्क होकर कब्जा वादीगण की प्राप्त होना पाया गया है। उपरोक्त दस्तावेजी सबूत से वादीगण रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार साबित होते है नामान्तरण प्रतिवादी एक के हक में हुआ है। क्षेत्राधिकार के बाहर है। नामान्तरण कही भी विक्रय पत्र से संबंधित नहीं है। न कब्जे के आधार पर इस प्रकार 5 बीघा भूमि का नामान्तरण प्रतिवादी के नाम हुआ है वह कलेदम व बेअसर है। प्रतिवादी द्वारा इस तनकी का खण्डन किसी साक्ष्य से नहीं किया।

अतः यह तनकी बहक वादीगण व खिलाफ प्रतिवादी निर्णय दी जाती है।

तनकी नं. 2 - आया प्रतिवादी को जरिये हुक्म इम्तनाई दवामी से पाबंद कराने का अधिकारी है।

इस तनकी को भी वादीगण द्वारा सिद्ध करना है। तनकी नंबर 1 के निर्णय अनुसार वादी खसरा नंबर 124 का रिकॉर्डेड खातेदार खसरा गिरदावरी लगान रसीद ढाल बांछ व 145 के निर्णय एस.डी.एम. जयपुर दिनांक 01.02.71 के

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

आधार पर साबित हो चुका है। महज प्रतिवादी का यह कथन कि उसने 99 रुपये में क्रय की जबकि उसने कोई दस्तावेजी सबूत पेश नहीं किये जिससे यह पाया जावे कि उसने भूमि क्रय की है। उपरोक्त विवेचन से वादीगण रिकॉर्डेड खातेदार होने से वह प्रतिवादी को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद कराने के अधिकारी है। अतः यह तनकी भी बहक वादीगण व खिलाफ प्रतिवादीगण निर्णय की जाती है।

तनकी नं. 3 - आया आराजी खसरा नंबर 124 में 5 बीघा भूमि 99 रुपये में वादीगण ने प्रतिवादी को विक्रय कर दी थी।

इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी पर था प्रतिवादी ने इस तनकी को कहीं भी सिद्ध नहीं किया है कि उक्त विवादग्रस्त भूमि 99 रुपये में क्रय की हो, एस.डी.एम. जयपुर के निर्णय 01.02.1971 में प्रतिवादी ने 250 रुपये में लेना जाहिर किया है। लेकिन क्रय किये जाने का कोई ठोस साक्ष्य सबूत पेश नहीं किया। जिससे यह साबित होवे कि आया उक्त भूमि खरीद की हो प्रतिवादी 5 बीघा भूमि को क्रय करने का सबूत पेश करने में असफल रहा है, ऐसी स्थिति में यह तनकी विरुद्ध प्रतिवादी बहक वादीगण निर्णय की जाती है।

तनकी नं. 4 - आया दावा हाजा बिना कान्सीवयूएन्सी रिलीफ के नाकाबिले पेश रफ्त है।

इस तनकी को भी प्रतिवादी द्वारा साबित करनी है। प्रतिवादी ने अपने जवाब दावे में यह अंकित किया है कि आराजी मुतनाजा पर 145 जा0फौ0 की कार्यवाही में भूमि कुर्क है इसलिये दावे में कब्जे की इस्तदुआ वादी को करनी

ऐसी स्थिति में बिना कान्सीवयूएन्सी रिलीफ के यह दावा नाकाबिले पेश प्राप्त है।

धारा 145 जा0फौ0 के तहत जो कार्यवाही की गयी उसका दिनांक 01.02.1971 को निर्णय किया जा चुका है एवं निर्णयनुसार वादीगण के पक्ष में विवादित भूमि का कब्जा घोषित हो चुका रिसीवर से वादीयान को विवादित भूमि का कब्जा भी प्राप्त हो चुका है ऐसी स्थिति में कोई कब्जा प्रतिवादी के पास नहीं था जो कब्जा लिया गया वह भी वादीयान से प्राप्त किया गया था। इस्तदुआ कब्जा कि विवादित भूमि पर प्रतिवादी का कब्जा हो, रिसीवर के पास कब्जा होने या कान्सीवयूएन्सी रिलीफ तब होती जबकि उसमें सरकार के विरुद्ध दावा होता और सरकार से कब्जा लिया जाता उक्त विवादित भूमि फरीकेन के झगडे की वजह से कुर्क की गयी थी एवं कुर्की में रिसीवर केवल मात्र विवादित भूमि के काशत का इन्तजाम करने के लिये नियुक्त था इस तनकी से कही भी प्रतिवादी ने


सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

साबित नहीं किया। अतः यह तनकी खिलाफ प्रतिवादी बहक वादीगण निर्णित की जाती है।

उपरोक्त तनकीयात के निर्णय अनुसार वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर इस्तकरार हक इस अमर का घोषित किया जाता है कि वादीगण खसरा नंबर 124 रकबा 43 बीघा 2 बिस्वा वाकै ग्राम हसनपुरा तहसील सांगानेर का वादीगण खातेदार काशतकार है एवं प्रतिवादी को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादीगण की उक्त विवादग्रस्त भूमि के किसी प्रकार की न करें ने बेदखल करे न पेड काटें, उपरोक्त पर्चा डिक्री दिनांक 13.08.1993 को जारी की गई।

अपीलार्थी/प्रतिवादी के द्वारा उक्त निर्णय दिनांक 13.08.1993 के विरुद्ध अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काशतकारी अधिनियम विरुद्ध निर्णय एवं डिक्री सहायक कलेक्टर (मुख्यालय) जयपुर की माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर के समक्ष प्रस्तुत की गई।

माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर ने अपने निर्णय दिनांक 14.



को अपील में निर्णय पारित किया कि :-

तनकी नं. 1 में निर्णय :- इस तनकी के अनुसार वादी को सिद्ध करना था कि आया वादी सम्पूर्ण खसरा नंबर 124 वाकै ग्राम हसनपुरावास भांकरोटा तहसील सांगानेर का काबिज खातेदार काशतकार है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यह तनकी वादीगण के पक्ष में साबित की है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस संबंध में न तो साक्ष्यों का विवेचन किया है न ही दस्तावेजों का एवं राजस्व अभिलेखों का विवेचन किया है कि किस प्रकार से यह तनकी वादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है। चूंकि तनकी नंबर 1 के आधार पर ही खातेदार काशतकार होने का निर्णय आधारित है जिसके आधार पर ही हुक्म इन्तनायी दवामी के बारे में भी निर्णय आधारित है। अतः तनकी नंबर 1 का निर्णय जिस प्रकार किया गया है उससे मैं सहमत नहीं हूँ। अधीनस्थ न्यायालय को इस महत्वपूर्ण तनकी को प्रत्येक साक्ष्य एवं दस्तावेजों का विवेचन करते हुए तय करना चाहिए था जो उसके द्वारा नहीं किया गया है। अतः यह उचित समझा जाता है कि इस संबंध में पुनः सुनवाई की जाकर इस तनकी का निर्णय किया जावे।

तनकी नं. 2 - इस तनकी के द्वारा वादी को सिद्ध करना था कि आया वादी प्रतिवादीगण को जरिये हुक्म इन्तवामी दवामी से पाबंद करवाने का अधिकारी है जैसा की उपर तनकी नंबर 1 में निर्णय में वर्णित किया गया है। चूंकि तनकी

सहायक कलेक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

नंबर 2 तनकी नंबर 1 पर आधारित है अतः इस पर कोई निर्णय तभी दिया जा सकता है जब तनकी नंबर 1 का निर्णय पहले पारित किया जावे। तनकी नं. 3 - इस तनकी के द्वारा प्रतिवादी को सिद्ध करना था कि आया आराजी खसरा नंबर 124 में 5 बीघा भूमि 99/- रुपये में वादीगण ने प्रतिवादी को विक्रय कर दी। तनकी नंबर 3 का निर्णय प्रतिवादी के विरुद्ध किया गया है लेकिन यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय अपने निष्कर्ष पर पहुँचने का आधार क्या रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा केवल सरसरी तौर पर इतना ही लिखा है कि क्रय किये जाने का कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया गया है। अतः इस तनकी का निर्णय भी पुनः किया जाना उचित है।

तनकी नंबर 4- इसके द्वारा प्रतिवादी को सिद्ध करना था कि बिना कान्सीवयूएन्सी रिलीफ के दावा नाकाबिले पेश रफ्त है। इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में कोई त्रुटि नहीं है। चूंकि खातेदार घोषित करने तथा अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने के संबंध में 2 महत्वपूर्ण तनकीयात के बारे में अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय पूर्ण रूप से विवेचित नहीं है। तनकी नंबर 3 के बारे में भी यही स्थिति है। अतः यह उचित समझा जाता है कि यह प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जावे।

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय का

एवं डिक्ली निरस्त किये जाते हैं तथा पत्रावली पुनः सुनवाई हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित की जाती है।

माननीय राजस्व अपील अधिकारी जयपुर के निर्णय के विरुद्ध वादीगण ने माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर, मु0 जयपुर के सक्षम अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत की।

माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर, मु0 जयपुर ने अपने निर्णय दिनांक 17.06.1997 में निर्णय पारित किया कि :

हमने दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों को पढ़ा। हमारी राय में इस केस में राजस्व अपील अधिकारी ने सही रूप से इस केस को रिमाण्ड किया है कि चूंकि सहायक कलक्टर ने अपना निर्णय जो दिनांक 13.08.93 को दिया है वह कानून की नजरों में कोई निर्णय ही नहीं है और इस केस में तनकी नंबर 1 व 3 बहुत ही महत्वपूर्ण तनकी थी जिसको तय करते समय कोई जुबानी व तहरीरी शहादत का विश्लेषण नहीं किया गया है और केवल धारा 145 सीआरपीसी के निर्णय के आधार पर कब्जा मान लिया, जो पूर्णतया गैर कानूनी है। प्रथम अदालत को सभी तनकीयात पर एवं जुबानी व तहरीरी शहादत के

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

आधार पर तथ्यों का विश्लेषण करके निर्णय करना आवश्यक है जो कि इस केस में सहायक कलक्टर ने कतई नहीं दिया है और केवल धारा 145 सीआरपीसी के आधार पर निर्णय कर दिया गया है, जबकि कानून की स्थिति स्पष्ट है कि धारा 145 के अन्तर्गत दिये गये कब्जे बाबत निर्णय से दीवानी अदालत व राजस्व अदालत पाबन्द नहीं है और स्वतंत्र रूप से जुबानी व तहरीरी शहादत ही दावे में आई है उसके आधार पर निर्णय किया जाता है। अतः राजस्व अपील अधिकारी ने सही रूप से इस केस को रिमाण्ड किया है कि पुनः सुनवाई कर उसका दुबारा निर्णय किया जावें, जिसकी पुष्टि इस अदालत द्वारा भी की जाती है। अतः यह अपील सारहीन होने से निरस्त की जाती है।

पत्रावली दिनांक 27.01.1998 को रिमांड होकर पुनः सुनवाई हेतु पेश हुई। पत्रावली में कोर्ट नोटिस जारी किये गये। प्रतिवादी दिनेश चौधरी, राधाकृष्ण व गुलजारीलाल की ओर से वकालतनामा पेश किया गया। प्रतिवादीगण को जवाब हेतु अनेक अवसर देने के उपरांत भी जवाब दावा पेश नहीं करने पर जवाब दावे

अवसर बंद किया गया। पत्रावली वास्ते बहस अन्तिम नियत की गई। प्रतिवादीगण की ओर से लिखित बहस प्रस्तुत की गई। प्रस्तुत बहस में

अंकित है कि :-

वादी विवादित भूमि खसरा नंबर 124 का रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है व जिसके संबंध में उसने खसरा गिरदावरी लगान की रसीदात, जमाबंदी ढाल बाछ निर्णय 145 जाप्ता फौजदारी आदि प्रस्तुत की है कि जिनके अवलोकन से वादी भूमि का रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार साबित हैं। प्रतिवादी का एकमात्र आधार यह है कि उसने विवादित भूमि 99/- रूपय में वादीयान से क्रय की है जो कही भी प्रतिवादी साबित नहीं कर पाया है। विवादित भूमि पर वादीगण का कब्जा काश्त हैं। ऐसी स्थिति में यदि प्रतिवादी वादीगण को भूमि से बेदखल कर देता है तो उससे वादीगण को ही अपूर्ण्य क्षति होगी जो आधार नामान्तकरण है वह भी एक क्षेत्राधिकार के बाहर का आदेश है और ऐसा आदेश की कानून में कोई वैधानिकता नहीं है। जैसा कि उसे ए.आई.आर 1954 सुप्रीम कोर्ट पेज 340 में मत अभिव्यक्त किया है। खसरा नंबर 124 का सम्पूर्ण का वादी रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार हैं। ऐसी स्थिति में उसका सुदृढ प्रबल प्रथम दृष्टा वाद है एवं उसी के पक्ष में सुविधा का संतुलन विद्यमान हैं। यदि कोई स्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की जाती है तो उससे वादीगण की ही अपूर्तनीय क्षति होगी और उनके सुविधा का संतुलन को ठेस पहुँचेगी। जबकि इसका उसका विपरीत प्रतिवादी का कोई केस नहीं हैं। प्रतिवादी का जो विक्रय पत्र के आधार पर केस


सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

हैं। वह न तो प्रस्तुत किया गया है न ही उसे कही साबित किया गया है। ऐसी स्थिति में वादी प्रतिवादी के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा का आदेश प्राप्त करने के अधिकारी हैं। वादीगण ने निम्न दस्तावेजात श्रीमान् के समक्ष प्रस्तु किये :-

1. मिलान क्षेत्रफल
2. रसीदात लगान किता 22
3. खसरा गिरदावरी संवत् 2018 से 2022
4. नकल ढाल बांछ किता 4
5. नकल जमाबन्दीया
6. नकल नामान्तकरण
7. नकल कार्यवाही ग्राम पंचायत बाबत् नामान्तकरण तस्दीक
8. फ़ैसला 145 जाप्ता फौजदारी दिनांक 01.02.1971 उपखण्ड अधिकारी


प्रतिवादी के दस्तावेजात में :-

1. जमाबंदी संवत् 2017 से हाल तक अर्थात् 1970 तक की पेश की हैं।



प्रकरण में प्रतिवादी का जो आधार विक्रय पत्र है वह साबित नहीं हैं। नामान्तकरण जिसके आधार पर वह आता है वह क्षेत्राधिकार के बाहर है सन् 1971 के निर्णय अनुसार वादी को कब्जा प्राप्त हो चुका हैं। कब्जा घोषित किया जा चुका हैं। उस कब्जे को प्राप्त करने एवं कब्जे के संबंध में कोई काउन्टर क्लेम या सक्षम अदालत में कोई दावा नहीं करने की वजह से जो वादीगण दादरसी के तहत अदालत हाजा वादीगण को जो दादरसी दे सकती है वह भी प्रदान की जावे। अतः लिखित बहस वादीगण की ओर से प्रस्तुत कर निवेदन है कि दावा वादी विरुद्ध प्रतिवादी बाबत् इस्तकरार हक एवं स्थायी निषेधाज्ञा डिक्री फरमाया जावें एवं खर्चा वाद प्रतिवादी से वादी को दिलाये जाने की आज्ञा प्रदान करें।

वकील वादीगण ने अपनी बहस के साथ दस्तावेजात सूची के साथ दस्तावेज गिरदावरी सम्वत् 2068-2071 सत्यप्रतिलिपि, जमाबंदी संवत् 2072-2075 की सत्यप्रतिलिपि, नक्शा ट्रेस, जमाबंदी फोटो स्टेट, एसडीएम सांगानेर निर्णय दिनांक 26.06.95 की फोटो स्टेट, जमाबंदी सम्वत् 2068-2071 की फोटोप्रति, जमाबंदी सम्वत् 2064-2067 की फोटो स्टेट एवं नक्शा ट्रेस पेश किये जो शामिल पत्रावली है।


 सहायक कलक्टर
 जयपुर शहर द्वितीय

पत्रावली का मय दस्तावेजात अवलोकन किया गया। इस पर उपलब्ध दस्तावेजी सबूत व शहादत के आधार पर वाद का निर्णय वाद विन्दू अनुसार किया जाता है :-

तनकी नं. 1 - आया वादी सम्पूर्ण खसरा नंबर 124 वाकै ग्राम हसनपुरावास तहसील सांगानेर का काबिज खातेदार काश्तकार है।



इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण पर है। वादी के लिए होता है कि वह विवादित भूमि में खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के लिए अपने केस को पूरी तरह साबित करें। इसके समर्थन में वादीगण ने मिलान

क्षेत्रफल, रसीद लगान, खसरा गिरदावरी सम्वत् 2018 से 2022, 2068 से 2071, नकल ढाल बांछ, नकल जमाबंदी एवं नकल निर्णय एस.डी.एम. जयपुर 01.02.71

पेश किया एवं निर्णय से पूर्व आराजी मुतनाजा कुर्क होकर कब्जा वादीगण की प्राप्त होना पाया गया है। उपरोक्त दस्तावेजी सबूत से वादीगण रिकॉर्डेड

खातेदार काश्तकार साबित होते हैं। शहादत में भी पीडब्ल्यू-1 लादू पुत्र भैरू कौम जाट ने न्यायालय में बताया है कि मैं हनुमान व नारायण की जमीन को

जानता हूँ इस जमीन को हनुमान व नारायण शुरू से ही काश्त करते हैं। इस जमीन को नारायण वैद्य(प्रतिवादी संख्या 1) को काश्त करते नहीं देखा। मेरी

जमीन इस जमीन के साथ है। पीडब्ल्यू 3 कल्याण पुत्र लाला जाट ने न्यायालय में बताया कि मैं नारायण लाल वैद्य प्रतिवादी को जानता हूँ जमीन को जानता हूँ

लेकिन झगडा नहीं देखा। इस का रकबा 44 बीघा के करीब है इसमें कोई टुकडा अलग कटा हुआ नहीं है। 44 बीघा में कुछ भूमि कुर्क रही है। वैद्यजी काश्त नहीं करते हैं। मेरा गांव व जमीन की कांकड की मेल एक ही है।

पीडब्ल्यू-4 महादेव पुत्र झूथा जाट ने न्यायालय में बताया कि मैं फरीकेन को जानता हूँ झगडे वाली जमीन को भी जानता हूँ वादी की 44 बीघा जमीन का

एक ही चक है अलग-अलग नहीं है। इस जमीन को प्रतिवादी ने कभी काश्त नहीं किया। मेरी जमीन इस जमीन से पश्चिम की तरफ है। उपरोक्त शहादत से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि पर लगातार वादीगण का कब्जा है।

प्रतिवादी नारायणलाल पुत्र खेम राज ने अपनी शहादत में न्यायालय को बताया कि इस दावे में मैं प्रतिवादी हूँ विवादग्रस्त भूमि को मैं जानता हूँ। इसके खसरा

नंबर 124/2 रकबा 5 बीघा है पहले इस भूमि की खातेदारी मोहरू पुत्र सोहन, हनुमान पुत्र रामनाथ जाट के नाम थी। इन्होंने मुझे 99/- रु में बेचान किया

है। जिसकी रजिस्ट्री नहीं कराई। कागजों में विक्रय पत्र के आधार पर मेरा नाम

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय


आया। मेरे नाम ग्राम पंचायत भांखरोटा ने नामान्तकरण तस्दीक कर दिया था। नामान्तकरण दिनांक 18.12.60 को किया था।

पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि जो 5 बीघा भूमि का नामान्तरण नारायण पुत्र खेम राज के नाम दर्ज किया गया वह दिनांक 04.12.60 में स्वीकार किया गया है। अर्थात् बैचान के पूर्व ही नामान्तकरण स्वीकार कर लिया गया। नामान्तकरण भी किया गया है वह कहीं भी बैचान आधार पर नहीं हैं। नामान्तकरण पर जो रिपोर्ट पटवारी है वह तब्दीली काशत हेतु है एवं जो आदेश है उसमें अंकन है कि राजी खुशी दे दी इससे स्पष्ट है कि विक्रय पत्र के आधार पर बैचान नहीं हैं। उपरोक्तानुसार जो नामान्तकरण प्रतिवादी एक के हक में हुआ है। क्षेत्राधिकार के बाहर है। नामान्तकरण कही भी विक्रय पत्र से संबंधित नहीं है। न कब्जे के आधार, पर इस प्रकार 5 बीघा भूमि का नामान्तकरण प्रतिवादी के नाम हुआ है वह कलेदम व बेअसर है। वादीगण दस्तावेजात व शहादत के आधार पर राजस्व रिकॉर्ड व कब्जा सम्पूर्ण खसरा नंबर 124 रकबा 44 बीघा पर साबित करने में सफल हुये है जबकि प्रतिवादी संख्या 1 न तो वादग्रस्त भूमि पर कब्जा साबित कर पाये है न ही ऐसा कोई दस्तावेजात पेश किया है जिससे प्रतीत हो कि प्रतिवादी ने उक्त भूमि वादीगण से क्रय की है। शेष प्रतिवादीगण ने न तो वादपत्र का जवाब प्रस्तुत किया है न ही कोई दस्तावेजात न ही मौखिक/लिखित बहस की है। अतः यह तनकी बहक वादीगण व खिलाफ

प्रतिवादीगण निर्णित की जाती है।

तनकी नं. 2 - आया प्रतिवादी को जरिये हुकम इम्तनाई दवामी से पाबंद कराने का अधिकारी है।

इस तनकी को भी वादीगण द्वारा सिद्ध करना है। तनकी नंबर 1 के निर्णय अनुसार वादीगण सम्पूर्ण खसरा नंबर 124 रकबा 44 बीघा के रिकॉर्डेड खातेदार काशतकार है जो खसरा गिरदावरी सम्वत् 2018 से 2022, 2068 से 2071, लगान रसीद, ढाल बांछ व 145 के निर्णय एस.डी.एम. जयपुर दिनांक 01.02.71 तथा शहादत के आधार पर साबित हो चुका है। मंहज प्रतिवादी का यह कथन कि उसने 99 रुपये में क्रय की जबकि उसने कोई दस्तावेजी सबूत व साक्ष्य सबूत पेश नहीं किये जिससे यह पाया जावे कि उसने भूमि क्रय की है। उपरोक्त विवेचन से वादीगण रिकॉर्डेड खातेदार होने से वह प्रतिवादी को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद कराने के अधिकारी है। अतः यह तनकी भी बहक वादीगण व खिलाफ प्रतिवादीगण निर्णित की जाती है।


सहायक कलेक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

तनकी नं. 3 - आया आराजी खसरा नंबर 124 में 5 बीघा भूमि 99 रूपये में वादीगण ने प्रतिवादी को विक्रय कर दी थी।

इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी पर था प्रतिवादी ने अपनी शहादत में बताया की खसरा नंबर 124/2 रकबा 5 बीघा है पहले इस भूमि की खातेदारी मोहरू पुत्र सोहन, हनुमान पुत्र रामनाथ जाट के नाम थी। इन्होंने मुझे 99/- रूप में बेचान किया है। जिसकी रजिस्ट्री नहीं कराई। कागजों में विक्रय के आधार पर मेरा नाम आया। मेरे नाम ग्राम पंचायत भांखरोटा ने तस्दीक कर दिया था। नामान्तरण दिनांक 18.12.60 को किया



के अवलोकन से जाहिर है कि जो 5 बीघा भूमि का नामान्तरण नारायण पुत्र खेम राज के नाम दर्ज किया गया वह दिनांक 04.12.60 में स्वीकार किया गया है। अर्थात् बेचान के पूर्व ही नामान्तरण स्वीकार कर लिया गया। नामान्तरण भी किया गया है वह कहीं भी बैचान आधार पर नहीं हैं। नामान्तरण पर जो रिपोर्ट पटवारी है वह तब्दीली काशत हेतु है एवं जो आदेश है उसमें अंकन है कि राजी खुशी दे दी इससे स्पष्ट है कि विक्रय पत्र के आधार पर बैचान नहीं हैं। उपखण्ड अधिकारी जयपुर के निर्णय 01.02.1971 में प्रतिवादी ने 250 रूपये में लेना जाहिर किया है। लेकिन प्रतिवादी ने ऐसा कोई दस्तावेजी ठोस सबूत पेश नहीं किया है जिससे ऐसा प्रतीत हो कि उक्त भूमि प्रतिवादी नंबर 1 ने वादीगण से क्रय की हो। शहादत में न्यायालय में प्रतिवादी ने उक्त कथन जरूर स्वीकार किया है कि उसने वादीगण से यह भूमि 99/- में क्रय की है। लेकिन उक्त शहादत के कथन भी दस्तावेजों से मेल नहीं खाते हैं क्योंकि प्रतिवादी नंबर शहादत में नामान्तरण की दिनांक 04.12.60 बताई है जबकि नामान्तरण की दिनांक 18.12.60 है। ऐसी स्थिति में यह तनकी विरुद्ध प्रतिवादीगण बहक वादीगण निर्णीत की जाती है।

तनकी नं. 4 - आया दावा हाजा बिना कान्सीवयूएन्सी रिलीफ के नाकाबिले पेश रफ्त है।


इस तनकी को भी प्रतिवादी द्वारा साबित करनी है। प्रतिवादी ने अपने जवाब दावे में यह अंकित किया है कि आराजी मुतनाजा पर 145 जा0फौ0 की कार्यवाही में भुमि कुर्क है इसलिये दावे में कब्जे की इस्तदुआ वादी को करनी चाहिये, ऐसी स्थिति में बिना कान्सीवयूएन्सी रिलीफ के यह दावा नाकाबिले पेश रफ्त है।

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

धारा 145 जा0फौ0 के तहत जो कार्यवाही की गयी उसका दिनांक 01.02.1971 को निर्णय किया जा चुका है एवं निर्णयनुसार वादीगण के पक्ष में विवादित भूमि का कब्जा घोषित हो चुका है रिसीवर से वादीयान को विवादित भूमि का कब्जा भी प्राप्त हो चुका है ऐसी स्थिति में कोई कब्जा प्रतिवादी के पास नहीं था जो कब्जा लिया गया वह भी वादीयान से प्राप्त किया गया था। इस्तदुआ कब्जा कि विवादित भूमि पर प्रतिवादी का कब्जा हो, रिसीवर के पास कब्जा होने या कान्सीवयूएन्सी रिलीफ तब होती जबकि उसमें सरकार के विरुद्ध दावा होता और सरकार से कब्जा लिया जाता उक्त विवादित भूमि फरीकेन के झगडे की वजह से कुर्क की गयी थी एवं कुर्की में रिसीवर केवल मात्र विवादित भूमि के काश्त का इन्तजाम करने के लिये नियुक्त था इस तनकी से कही भी प्रतिवादी ने काश्त नहीं किया। अतः यह तनकी खिलाफ प्रतिवादीगण बहक वादीगण निर्णित की जाती है।



उपरोक्तानुसार वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य विवाद प्रतिवादी संख्या 1 वादीगण द्वारा खुलवाये गये नामान्तकरण पश्चात बनाये गये नवीन खसरा नंबर 124/2 रकबा 5 बीघा का है। उपरोक्त तनकीयात के निर्णय अनुसार यह सिद्ध हो चुका है कि खसरा नंबर 124/2 रकबा 5 बीघा साबिक खसरा नंबर 124 रकबा 43 बीघा 2 बीस्वा का ही भाग है। ऐसे में तनकीयात निर्णयनुसार वादीगण को सम्पूर्ण साबिक खसरा नंबर 124 रकबा 43 बीघा 2 बिस्वा वाकै ग्राम हसमपुरा वास भांकरोटा पटवार हल्का भांकरोटाकलां भू0अ0नि0 क्षेत्र भांकरोटा तहसील सांगानेर जिला जयपुर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादीगण की उक्त विवादग्रस्त भूमि में किसी प्रकार से न तो बेदखल करे न पेड काटें, न वादीगण के उपयोग उपभोग में बाधा कारित करें। इस आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाती है। पत्रावली फौसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 04.02.2021 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।


सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

अन्तिम डिक्री मुकदमा इब्तादाई

(ओ. 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

आज अदालत सहायक कलक्टर जयपुर शहर (द्वितीय) मुकाम जयपुर ब
इजलास श्री विष्णु कुमार गोयल-1 (आर.ए.एस.)

नारायण

बनाम

हनुमान वगै.

दावा इस्तकरार हक व हुक्म ईम्तनाई

मुकदमा नम्बर - दावा/2008/593

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरू श्री विष्णु कुमार गोयल-1 व हाजिरी वकील
वादी मिनजानिब मुद्ई रुबरू ५ मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया
जाता है व डिक्री दी जाती है कि

तनकीयात के निर्णय अनुसार वादीगण को सम्पूर्ण साबिक खसरा नंबर 124
रकबा 43 बीघा 2 बिस्वा वाकै ग्राम हसमपुरा वास भांकरोटा पटवार हल्का
भांकरोटाकलां भू0अ0नि0 क्षेत्र भांकरोटा तहसील सांगानेर जिला जयपुर का
खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से
पाबन्द किया जाता है कि वादीगण की उक्त विवादग्रस्त भूमि में किसी प्रकार
से न तो बेदखल करे न पेड काटें, न वादीगण के उपयोग उपभोग में बाधा
कारित करें। इस आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाती है।

निज ५ मुबलिग बाबत् ५
..... खर्चा इस मुकदमें में मय सूद बशरह ५ फीसदी
सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ५ का
अदा करें।

बसब्त मुद्द इस्तकरार व मुहर अदालत के आज तारीख 04.02.2021 को जारी की गई।
मुहर



दस्तखत सहायक कलक्टर
ओहदा जयपुर शहर द्वितीय

मुद्ई	रुपये	पैसे	मुद्दायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा		00	स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकीलनामा		00	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत् इजराय		
बाबत् इजराय			हुक्मनामा		
हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक		00	मीजान		

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय